भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4773

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

कृषि श्रमिक और गैर-कृषि कामगार

4773. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी गैर-कृषि कामगारों से बहुत कम है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या महिला कृषि श्रमिकों की स्थिति पुरुष कृषि श्रमिकों से खराब है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने महिला कृषि श्रमिकों की स्थिति के संबंध में कोई आकलन किया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, समीक्षा करने तथा संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में निर्धारित दरें केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरण के अधीन प्रतिष्ठानों, रेल प्रशासन, खानों, तेल-क्षेत्रों, मुख्य पत्तन या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम पर लागू हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के लिए अनुसूचित नियोजन से भिन्न नियोजन राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है तथा तदनुसार राज्य

सरकार की मजदूरियां इन नियोजनों पर लागू होती हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 01.04.2019 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान दर की प्रति अनुबंध में है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरूष तथा महिला कामगारों के लिए समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान पारिश्रमिक का भुगतान उपबंधित है। प्रतिष्ठानों में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का पता लगाने हेतु नियमित निरीक्षण करके केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय तथा राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करने हेतु समुचित प्राधिकरण हैं। निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित समुचित सरकार के अधिकारी निरीक्षण करते हैं तथा इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते पाए गए व्यक्तियों को अभियोजित करते हैं।

कृषि, सहयोग तथा किसान कल्याण विभाग महिला किसानों के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर रहा है तथा अपने मुख्यधारा में लाने वाले प्रयासों के रूप में, यह अपनी विभिन्न लाभार्थी उन्मुखी योजनाओं के अंतर्गत सुनिश्चित करता है कि 30 प्रतिशत निधियां महिला किसानों के लाभ के लिए दी जाएं।

(घ): जी नहीं।

(ङ): उपर्युक्त (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*   *****

<u>अनुबंध</u>

दिनांक 22.07.2019 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4773 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरियों की क्षेत्रवार वर्तमान दरें

01.04.2019 की स्थिति के अनुसार

अनुसूचित नियोजन का नाम	कामगार की श्रेणी	परिवर्ती मंहगाई भत्ते सहित मजदूरी की दरें प्रतिदिन(रुपये में)		
		क्षेत्र क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1. कृषि	अकुशल	371.00	339.00	336.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	407.00	373.00	343.00
	कुशल/लिपिकीय	441.00	407.00	372.00
	अतिकुशल	488.00	454.00	407.00
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खान में लगे कामगार	1. 50मीटर लीड/1.5मीटर ऊंचाई सहित अधिक भार का उत्खनन करने व हटाने के लिए:			
	(क) मुलायम मिट्टी	393.00		
	(ख) चट्टान सहित मुलायम मिट्टी	592.00		
	(ग) चट्टान	784.00		
	2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर ऊंचाई सहित छांटे गये पत्थरों को हटाने व जमा करने के लिए:	316.00		
	एक समान आकार में पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के लिए			
	(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	2417.00		
	(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच से ऊपर	2067.00		
	(ग) 3.0 इंच से 5.0 इंच से ऊपर	1213.00		
	(घ) 5.0 इंच से ऊपर	995.00		
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	अकुशल	584.00	487.00	390.00
4. पहरा एवं निगरानी	बिना शस्त्र के	710.00	645.00	551.00
	शस्त्र सहित	772.00	710.00	645.00
5. लादना एवं उतारना	अकुशल	584.00	487.00	390.00
6. निर्माण	अकुशल	584.00	487.00	390.00
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	645.00	551.00	457.00

	कुशल/लिपिकीय	710.00	645.00	551.00
	अतिकुशल	772.00	710.00	645.00
7. गैर कोयला खानें		**भूमि के ऊपर**	**भूमि के नीचे**	
	अकुशल	390.00	487.00	
	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	487.00	584.00	
	कुशल/लिपिकीय	584.00	681.00	
	अतिकुशल	681.00	761.00	

अनुसूचित नियोजन का नाम	**नामावली**
1. कृषि	कृषि
2. पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में लगे कामगार	पत्थर तोड़ने तथा पत्थर पीसने के लिए पत्थर खानों में लगे कामगार
3. झाड़ू लगाना एवं सफाई करना	हाथ से मल साफ करने और सूखे शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत शामिल कार्यों को छोड़कर झाड़ू लगाने एवं सफाई करने के कार्य संबंधी नियोजन
4. पहरा एवं निगरानी	पहरा/निगरानी संबंधी नियोजन
5. लादना एवं उतारना	लादने एवं उतारने संबंधी कार्य (i) रेलवे के गुड्स शेड्स, पार्सल कार्यालय (ii) अन्य गुडसशेडस-,गोदामों, वेयर हाउस आदि और (iii)गोदी एवं पत्तनों में नियोजन
6. निर्माण	सड़कों अथवा रनवे का निर्माण अथवा अनुरक्षण अथवा भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा विदेशी दूरसंचार से जुड़े तारों को बिछाने एवं अन्य समरूप भूमिगत तार लगाने के कार्य, बिजली की लाइन, जलआपूर्ति की लाइन तथा सिवरेज पाइप लाइनों के कार्य सहित भवन कार्य में।
7. गैर कोयला खानें	जिप्सम, बेराइट्स, बाक्साइट, मैग्नीज, चीनीमिट्टी, केनाइट, तांबा, क्ले, मैंग्नेसाइट, व्हाईटक्ले, पत्थर, स्टीएटाइट (खानों में उत्पन्न होने वाले साबुन, पत्थर एवं पाउडर सहित), ऑशर, एसबेसटस, फायरक्ले, क्रोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टज, सिलिका, ग्रेफाइट, फेल्सपर, लेटेराइट, डोलोमाइट, रेडआक्साइड, वोल्फ्रेम, लौह-अयस्क, ग्रेनाइट, रॉकफास्फेट, हेमाटाइट, मार्बल एवं कैल्साइट, यूरेनियम, अभ्रक, लिग्नाइट, ग्रेव, स्लेट तथा मैग्नेटाइट खान के नियोजन में कार्यरत कर्मचारी।

*****